

**उत्तराखण्ड सरकार**

कार्यालय तहसीलदार द्वारा प्रदत्त

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण पत्र

(जैसा कि उ० प्र० पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू हुआ)

जिला : देहरादून
तहसील : डोईवालाआवेदन पत्र संख्या : UK10CAC0704/200019002
जारी दिनांक : 29-June-2020

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्री कुमारी सुषमा चौहान
माता का नाम श्री बी एस चौहान
पता श्रीमती शान्ता देवी
निवासी ग्राम/नगर पालिका क्षेत्र कान्हरवाला, डोईवाला, देहरादून
पट्टी/लेखपाल क्षेत्र भानियावाला
तहसील डोईवाला
जिला देहरादून

उत्तराखण्ड के राज्य की सुनार पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं

यह जाति उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है। की अनुसूची - एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी सुषमा चौहान उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची - दो (अधिसूचना संख्या 22/16, 92-का-1995 टी०सी० दिनांक 08 दिसम्बर 1995 के द्वारा यथा संशोधित) से आच्छादित नहीं है।

कुमारी सुषमा चौहान तथा समस्त परिवार उत्तराखण्ड प्रदेश के

ग्राम कान्हरवाला
पट्टी/लेखपाल क्षेत्र भानियावाला
तहसील डोईवाला
नगर/जिला देहरादून में सामान्यतः रहता है।

यह प्रमाण पत्र पटवारी/लेखपाल (भानियावाला) की जांच आख्या दिनांक 29-Jun-2020 के आधार पर निर्गत किया जाता है।



केंद्र आईडी : 153465610012

डोईवाला,
देहरादूनDigitally signed by
SURVEER SINGH
RANA
Date: 2020.06.29
16:28:42 +05:30
डोईवाला,
देहरादून